POLITICAL SCIENCE Dep.
BA-(H)-2, Paper-4

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D College Tajpur
Samastipur

## न्यायपालिका की स्वतंत्रता

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने में दबाव महसूस नहीं करते। हैमिल्टन के अनुसार "किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के बिना निष्प्राण है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं —

### ① न्यायाधीशों की योग्यता :-

न्यायाधीशों के लिए एक निश्चित योग्यता निर्धारित की गई है। न्यायाधीश योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी होना चाहिए। वे निष्पक्ष, ईमानदार एवं बाह्य प्रभाव से मुक्त हो।

### ② न्यायाधीशों का वेतन :-

न्यायाधीशों को एक निश्चित वेतन-भत्ता दिया जाता है जिससे वे निश्चिंत होकर अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें। उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ताकि वे निश्चिंत होकर अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकें

Scanned with CamScanner

③ **न्यायाधीशों का कार्यकाल :-**

न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी अथवा जीवनपर्यंत भी हो सकता है। अवकाश ग्रहण करने की आयु तक वे अपने पद पर रह सकते हैं।

④ **न्यायाधीशों की नियुक्ति :-**

न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के प्रधान या राष्ट्रपति द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती है तथा निम्न न्यायाधिकारियों की नियुक्ति विभागीय सचिव करते हैं।

⑤ **न्यायाधीशों की बर्खास्तगी :-**

न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया काफी कठोर रखी गई है। उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया न्यायाधीशों को पद के सुरक्षा की गारण्टी देती है।

⑥ **न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं विधायिका से पृथक्करण :-**

न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु उनके कार्यों को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से पृथक रखा गया है।

Dr. Husna Ara
Asst. Professor

Scanned with CamScanner